भारत सरकार

कर्मचारी चयन आयोग (मप्रक्षे), रायपुर–छ.ग.

''दस्तावेज सत्यापन दिशा–निर्देश''

"Documents Verification Guidelines"

1. अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के लिए निर्धारित तिथि में ही उपस्थित हों तथा इसमें पूरे दिन का समय लग सकता है ।

2. अभ्यर्थियों को आयोग कार्यालय में उपस्थित होने पर 'वेरीफिकेशन शीट' दिया जाएगा । इस शीट के सभी कॉलम को उसी भाषा में भरा जाना है, जिसमें जानकारी मांगी गई है ।

3. वेरीफिकेशन से पूर्व अभ्यर्थी अपने मूल एवं सत्यापित दस्तावेजों को कमबद्ध रूप से तैयार रखें । जैसे–सबसे पहले–वेरीफिकेशन शीट, किसी भी परीक्षा में वारित (Debar) नहीं होने की घोषणा पत्र, पद वरीयता फार्म, मैट्रिक (10वीं) अंक सूची, मैट्रिक प्रमाण पत्र, हायर सेकेण्डरी (12) अंक सूची, प्रमाण पत्र, स्नातक के तीनों वर्षों या सभी सेमेस्टर की अंक सूची कम से, उपाधि पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र, भूपूसै प्रमाण पत्र........अन्य प्रमाण पत्र । (जो भी लागू हो)

4. अभ्यर्थियों को वेरीफिकेशन शीट एवं आवेदन पत्र में पासपोर्ट साइज की नई फोटो चिपकानी हैं । अर्थात अभ्यर्थी द्वारा पहले लगायी गई फोटो और सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थी के चेहरे का मिलान होना चाहिए । यदि मिलान नहीं हो रहा है तो वर्तमान चेहरे की पासपोर्ट साइज की 3 रंगीन फोटो लाना है । एक फोटो ऑन लाइन वेरीफिकेशन के बाद निकले कम्प्यूटर प्रिंट में भी चिपकाना होगा।

5. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित होना आवश्यक नहीं है, स्व–प्रमाणित भी मान्य है ।

6. अभ्यर्थी के नाम, माता–पिता का नाम एवं जन्म तिथि का आधार मैट्रिक (10वीं) की अंक सूची या प्रमाण पत्र होता है । यदि, मैट्रिक प्रमाण पत्र में दिए गए विवरणों से हायर सेकेण्डरी/स्नातक/जाति के प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी के नाम, पिता अथवा माता के नाम में भिन्नता हो, या सरनेम लगा हो या नहीं लगा हो, तो इसके लिए शपथ पत्र की मूल प्रति साथ में लेकर आएं । यदि स्पेलिंग में मामूली त्रुटि हो तो इसके लिए शपथ पत्र आवश्यक नहीं है ।

7. भूपूसै श्रेणी के अभ्यर्थी को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट तथा परीक्षा की विज्ञप्ति के अनुसार 'कहीं भी शासकीय सेवा में नहीं होने के संबंध में घोषणा पत्र' प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

8. अभ्यर्थी आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज ही संलग्न करें । उनके द्वारा कुछ दस्तावेज अनावश्यक रूप से लगाए जाते हैं, उन्हें न लगाएं । जैसे–आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड की फोटो कापी, निवास प्रमाण पत्र, मैरिट सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र, खेलकूल, सांस्कृतिक, प्रतियोगिता, सामाजिक कार्य, अन्य उत्तीर्ण परीक्षाओं के प्रमाण, इत्यादि । पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड/वोटर कार्ड साथ में अवश्य रखें ।

9. कुछ अभ्यर्थियों के मैट्रिक/हायर सेकेण्डरी की अंकसूची/प्रमाण पत्र में 'जारी होने की तिथि' अंकित नहीं होती है । ऐसी स्थिति में उसी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति में जारी होने की तिथि अथवा संभावित तिथि लिख कर लाएं। जैसे– Date of issue 25-5-2006